रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938
No. 405] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 3 नवम्बर, 2016

सं. टीएएमपी/7/2010-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतदद्वारा कोलकाता और हल्दिया स्थित कोलकात्ता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएएमपी/7/2010-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास - - - आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर, 2016 के 25वें दिन पारित)

यह मामला कोलकाता और हल्दिया स्थित कोलकात्ता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता के विस्तार के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबधित है।

2. कोलकाता गोदी सिस्टम (केडीएस) और हल्दिया गोदी सिस्टम(एचडीएस) स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की दर संरचना इस प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी 2011 के आदेश संख्या टीएएमपी/7/2010-केओपीटी द्वारा अनुमोदित की गई थीं। यह आदेश भारत के राजपत्र संख्या 47 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। किराया अनुसूची राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् 7 अप्रैल, 2011 से प्रभावी हुई थी और 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 6 अप्रैल, 2016 तक वैध थी।

3. केओपीटी द्वारा किये गए अनुरोध के अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने 30 मार्च, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/7/2010-केओपीटी के द्वारा केडीएस और एचडीएस की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता को 30 मार्च, 2016 के आदेश में दिये गए कारणों से, 6 महीने की अवधि के लिए 6 अक्तूबर, 2016 तक अथवा केओपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किराया दरों की अधिसूचना की तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 21 अप्रैल, 2016 को राजपत्र संख्या 139 में अधिसूचित किया गया था। उसी आदेश के द्वारा, केओपीटी को किराया अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव 30 जून, 2016 तक, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश, 2014 का अनुपालन करते हुए, दायर करने का निदेश दिया गया था।

4. इस पृष्ठभूमि में, केओपीटी ने अपने 29 सितम्बर, 2016 के पत्र संख्या एलएनडी/464/एफ/आरएफसी/XVII/अतिरिक्त/16/2287 के द्वारा किराया अनुसूची के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दायर किया है। उक्त पत्र के द्वारा केओपीटी ने, अन्य के साथ-साथ, निवेदन किया है कि चूंकि वर्तमान किराया अनुसूची की विस्तारित वैधता 6 अक्तूबर, 2016 को समाप्त हो रही है, केओपीटी ने इस प्राधिकरण को अनुरोध किया है कि किराया अनुसूची की वैधता को और आगे उपयुक्त समय के लिए बढ़ा दिया जाये।

5.1 चूंकि केओपीटी की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता 6 अक्तूबर, 2016 को समाप्त हो गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केओपीटी के प्रस्ताव को परामर्श के लिए लिया जायेगा और कि मामले को इस प्राधिकरण द्वारा विचार के लिए परिपक्व होने में समय लगेगा, यह प्राधिकरण केओपीटी की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को उसकी समाप्ति की तारीख से 31 दिसम्बर, 2016 तक अथवा केओपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किराया अनुसूची के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक जो भी पहले हो, बढ़ाता है।

5.2 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी भूमि नीति दिशानिर्देश, 2010 (जिसके आधार पर कोलकाता और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों के लिए 2011 में दर संरचना निर्धारित की गई थी) अनुबद्ध करती है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किरायों में 2% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी जब तक इस प्राधिकरण द्वारा दरें संशोधित नहीं कर दी जाती। जनवरी 2011 का केओपीटी का आदेश भी इस बारे में विशिष्ट शर्त निर्धारित करता है। यह शर्त सरकार द्वारा जारी संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश 2014 में भी निहित है। चूंकि वर्तमान किराया अनुसूची में पट्टा किरायों में 2% की दर से वार्षिक वृद्धि पहले ही निर्धारित है और भूमि नीति दिशानिर्देशों के अनुसार कोलकाता और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता अवधि में भी वार्षिक वृद्धि 2% की दर से जारी रहेगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा 30 मार्च, 2016 के पिछले विस्तार आदेश में निर्धारित किया गया था।

6. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से, तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण कोलकाता और हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची का 31 दिसम्बर, 2016 अथवा केओपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किराया अनुसूची के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./299 (143)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd November, 2016

No. TAMP/7/2010-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of Rent Schedule for the lands and buildings of Kolkata Port Trust at Kolkata and Haldia as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/7/2010-KOPT

Kolkata Port Trust **---** **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 25th day of October 2016)

This case relates to a proposal received from the Kolkata Port Trust (KOPT) for extension of the validity of Rent Schedule for the lands and buildings of KOPT at Kolkata and Haldia.

2. The rate structure for Land and Buildings of KOPT at Kolkata Dock System (KDS) and Haldia Dock Complex (HDC) was approved by this Authority vide Order No.TAMP/7/2010-KOPT dated 19 January 2011. This Order was notified in the Gazette of India on 8 March 2011 vide Gazette No 47. The Rent Schedule came into effect from 07 April 2011 after expiry of 30 days period from the date of notification of the Order in the gazette and was valid for a period of 5 years i.e. upto 6 April 2016**.**

3. Acceding to the request made by KOPT, this Authority had extended the validity of the Rent Schedule for the lands and buildings of KDS and HDC for a period of 6 months upto 6 October 2016 or till the date of notification of revised lease rentals based on a proposal to be filed by KOPT, whichever is earlier vide its Order No. TAMP/7/2010-KOPT dated 30 March 2016 for the reasons stated in the Order dated 30 March 2016. This Order was notified in the Gazette of India on 21 April 2016 vide Gazette No 139. Vide the same Order the KOPT was also directed to file its proposal for revision of Rent Schedule, latest by 30 June 2016, following the revised Land Policy Guidelines, 2014, issued by the Government of India.

4. In this backdrop, the KOPT vide its letter no. Lnd/464/F/RFC/XVII/Addl/16/2287 dated 29 September 2016 has filed its proposal for the revision of Rent Schedule. Vide the said letter, the KOPT has, interalia, submitted that as the extended validity of existing Rent Schedule is expiring on 6 October 2016, the KOPT has requested this Authority to extend the validity of Rent Schedule for the further period of time, suitably.

5.1. Since the extended validity of the existing Rent Schedule of KOPT has expired on 6 October 2016 and recognising that the proposal of KOPT will have to be taken up on consultation and since it will take some time for the case to mature for consideration of this Authority, this Authority extends the validity of the existing Rent Schedule of KOPT from the date of its expiry till 31 December 2016 or till the effective date of implementation of the revised Rent Schedule based on the proposal filed by KOPT, whichever is earlier.

5.2. Further, the Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the rate structure for the lands and buildings of KOPT at Kolkata and Haldia has been fixed in 2011) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order of January 2011 of KOPT also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the revised Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government. Since the existing Rent Schedule already prescribes an annual escalation @ 2% in the lease rentals and in line with the

Land Policy Guidelines, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the Rent Schedule for the Lands and Buildings of KOPT at Kolkata and Haldia, as was prescribed by this Authority during the last extension Order dated 30 March 2016.

6. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Rent Schedule for the Lands and Buildings of KOPT at Kolkata and Haldia till 31 December 2016 or till the effective date of implementation of the revised Rent Schedule based on the proposal filed by KOPT, whichever is earlier.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./299 (143)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.16 15:02:10 +05'30'